

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मेडिकल सुप्रीटेन्डेंट
नालन्दा मेडिकल कालेज अस्पताल
अगमकआ, पटना-800007

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित राशियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोनू कुमार पिता- ओम प्रकाश केशरी ग्राम- पश्चिम दरवाजा नियर काशी मादेर पटना सिटी पो०- गुलजारबाग थाना- खौजेकता जिला- पटना	Maintenance Renal Replacement Dialysis Therapy	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 60,000 / -	

2. उपर अनुदान की कुल राशि 60,000/- (साठ हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 000-880-000880
आप में सलमन।

प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर संप्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को केवल एक बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को भेजा जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2546 (14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुदामा शर्मा पिता- गति शर्मा ग्राम-पो0- बगौरा थाना- दरौदा जिला- सिवान सीआर न0- 108112403384568	हृदय रोग पेसमेकर	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	माया देवी पति- आनंदी राम ग्राम- चनानिया वार्ड 09 पो0- अलीनगर थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112601180985	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	श्रीदेवी पति- तापसी यादव ग्राम- चक्कीपार वार्ड 12 पो0- ओलापुर गणगीर थाना- गगौर जिला- खगडिया सीआर न0- 108112602001660	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	उर्मिला देवी पति- सुभाष साह ग्राम- मगुराहा वार्ड 05 पो0- मगुराहा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112400807905	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सविता देवी पति- विनोद कुमार ग्राम- कृष्णापुरी पो0+थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112402087781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	पुनिता कुमारी पति- कार्तिक ठाकुर ग्राम- भखरैन वार्ड 06 पो0- भखरैन थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112601852631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	हर्ष कुमार मडल पिता- गुरुशरण कुमार मडल ग्राम- छतिऔना वार्ड 06 पो0- छतिऔना थाना- रानीगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112601948752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सीता देवी पति- उमा नाथ राय ग्राम- कृषि फार्म अनुमान मंदिर मुबारकपुर पो0- दानापुर कैट थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112401199488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	अब्दुल कादीर पिता- जियाद हुसैन ग्राम+पो0- शिवानदपुर थाना- आबादपुर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112601876859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रेहाना खातून पति- मो0 इसराइल ग्राम- रतवारा शेख टोली वार्ड 03 पो0- रतवारा बिदवारा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112600600345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	लक्ष्मी कुमारी पिता- राम नारायण यादव ग्राम- बौलिया वार्ड 07 पो0- आर एन बौलिया थाना- मनिहारी जिला- कटिहार सीआर न0- 108112601507993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रेखा देवी पति- दिनेश राम ग्राम- कढान वार्ड 08 पो0- कढान थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600832734	कैसर/ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	निर्मला देवी पति- नदलाल यादव ग्राम-नेनगसिया वार्ड 10 पो0- सिधारी थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज सीआर न0- 108112501648115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	शोभा देवी पति- बबलू दास ग्राम- बाजितपुर पो0- पुरपथार थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112503624892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	बेबी खातून पति- शकूर आलम ग्राम+पो0- भीत बेवडा थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112602016071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	ओम प्रकाश सिंह पिता- रामेश्वर सिंह ग्राम- सुदरपुर कुडिया वार्ड 03 पो0- बेलाघाट बलुआ थाना- आरा मुफ्फसिल जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112601451505	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मजू देवी पति- मुक्तार पासवान ग्राम+पो0+थाना- अकबरनगर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112600521275	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	लीला देवी पति- रामप्रताप लाल ग्राम+पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112601390999	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	उदय साह पिता- गणेश साह ग्राम- बेहटा पो0+थाना- खजौली जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112602090069	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	मो० समीम पिता- मो० मजलूम ग्राम- नौलखा वार्ड 09 पो०- बरियाही बाजार थाना- बनगाव जिला- सहरसा सीआर न०- 108112402348991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	सजय कुमार मडल पिता- चेतन मडल ग्राम- महेशपुर पो०- बिजैली थाना- डण्डखोरा जिला- कटिहार सीआर न०- 108112601532491	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	माधुरी सिन्हा पति- अरुण सिंह ग्राम- सम्होता पो०- कोपा सम्होता थाना- कोपा जिला- सारण सीआर न०- 108112602020109	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सतोष साहू पिता- राम बहादुर साहू ग्राम- चनौरा गोठ वार्ड 08 पो०- चनौरा गज थाना- झंझारपुर जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112601947608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रणजीत कुमार पिता- सीताराम साह ग्राम- जनकी सीन वार्ड 10 पो०+थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112260296601 / 108112601542233	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	दशरथ राम पिता- राम गोविन्द राम ग्राम- दौलतपुरचादी पो०- हरौली थाना- हाजीपुर सदर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112601877880	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	नूतन कुमारी पति- कामेश्वर प्रसाद यादव ग्राम- चक्काडीह वार्ड 06 पो०- पडरिया थाना- बाका जिला- बाका सीआर न०- 108112602210641	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



27	शुशीला झा पति- स्व० जय प्रकाश झा ग्राम+पो०- सनहपुर थाना- सिधवारा जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112601700921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	राहीला खातून पति-महफूज ग्राम- मलहरिया पो०- बागनगर थाना- महलगाव जिला- अररिया सीआर न०- 108112601900407	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	शोक देवी पति- राज कुमार यादव ग्राम- भाटाबारी वार्ड 14 पो०- बीबीगज थाना- कोधोबरी जिला- किशनगज सीआर न०- 108112601825235	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	चिता देवी पति- रघुनाथ साहनी ग्राम- भीखनपुर वार्ड 06 पो०- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112503545160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	झयाशु कुमार पिता- गोलू कुमार ग्राम- मेहन्दिया पो०- जयपुर थाना- मेहनिया जिला- अरवल सीआर न०- 108112602141411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	भोला साह पिता- लक्ष्मी साह ग्राम+पो०+थाना- शिवहर जिला- शिवहर सीआर न०- 108112601737972	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	बीबी नाजेमा खातून पति- मो० नसीम ग्राम- मनोहरपुर पो०- कुमारीपुर थाना- मनिहारी जिला- कटिहार सीआर न०- 108112602169510	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



34	कुमारिया देवी पति- रामबाबू पासवान ग्राम- हरपुर गंगाराम पो0- नीलकठपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300418588	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
35	राज माइकल पिता- रामरेखा सिंह ग्राम- फुलवरिया पो0+थाना- शाहकुण्ड जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112601221771	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
36	मजूला देवी पति- उदय यादव ग्राम- बददीहुली वार्ड 14 पो0- अरगा थाना- बहेडी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112601741481	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
37	मो0 नेयाज पिता- मो0 सेराजुदीन ग्राम- विसाती पट्टी वार्ड 20 पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112300046761	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
38	लक्ष्मण राम पिता- हरिहर राम ग्राम+पो0- धमसर थाना- जनता बाजार जिला- सारण सीआर न0- 108112601511516	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
39	मीना देवी पति- शिवजी यादव ग्राम- कदम के डेरा वार्ड 03 पो0- लक्समी डेरा थाना- करनामपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112300043126	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
40	अजय प्रसाद पिता- स्व0 किशोरी साव ग्राम- दरियापुर गोला मोहर टोला पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112300919285	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

41	सुनदा देवी पति— शिवशकर दुबे ग्राम— पिठौरी वार्ड 02 पो0— मैगम्बरपुर थाना— बनयापुर जिला— सारण सीआर न0— 108112402866950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	सूर्य नारायण मडल पिता— बुनीलाल मडल ग्राम+पो0— झिल्ला डुमरी थाना— भपटियाही जिला— सुपौल सीआर न0— 108112600275304	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अनाया परवीन पिता— मो0 नौशाद ग्राम— नयाटोला वार्ड 04 पो0— नयाटोला थाना— बोखडा जिला— सीतामढी सीआर न0— 108112602101656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	वाजदा तब्सुम पति— नसरुद्दीन खा ग्राम— चतुर्भुजवा वार्ड 13 पो0— रोआरी थाना— शिकारपुर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 108112601314435	कैसर/ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मो0 एहसान पिता— अब्दुल सलाम ग्राम— टीमपुर पो0— पचरौर थाना— तरैया जिला— सारण सीआर न0— 108112402236042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	सकल यादव पिता— रामजी यादव ग्राम— गोसाई गाव पो0— धनकडोभ थाना— घोसवरी जिला— पटना सीआर न0— 108112601734494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	महावीर प्रसाद पिता— स्व0 प्रसादी राम ग्राम— मदरसा गली आर्य समाज के सामने वार्ड 66 पो0— झाऊगज थाना— चौक जिला— पटना सीआर न0— 108112601877987	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



48	अमीना खातून पति- मो० समसाद ग्राम- सागी वार्ड 09 पो०- दौलतपुर थाना- खोदावान्दपुर जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112601570075	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	सीता देवी पति- उमेश ठाकुर ग्राम- रामपुरानी पो०- बिरना लखन सेन थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न०- 108112600080309	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	उमेश्वर प्रसाद सिंह पिता- कालीचरण सिंह ग्राम- बरुआ बहुआरा वार्ड 08 पो०- बिदुपुर थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112600176772	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	नवीन सिंह पिता- स्व० गया नद सिंह ग्राम+पो०- भरपुरा थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न०- 108112601715740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	रामसहाय महतो पिता- जीतन महतो ग्राम- बरसौना पो०- सोहैपुर थाना- टनकुप्पा जिला- गयाजी सीआर न०- 108112601822058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	मो० रमजान पिता- मुस्तफा ग्राम- सिधरिकोल वार्ड 10 पो०- प्याजी थाना- रौटा जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112601890045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	रेखा देवी पिता- बच्चन महतो ग्राम- चकमनौर वार्ड 01 पो०- रिखर थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर न०- 108112601368764	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	विजय कुमार साह पिता- केशो साह ग्राम+पो0- दादरी जाला थाना- सग्रामपुर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112601606576	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सविता देवी पति- विजय प्रसाद गुप्ता ग्राम- पुरानी बाजार साउथ देवी सीन पो0+थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112601560093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	अमेरिका देवी पति- शम्भू झा ग्राम- महेशपट्टी वार्ड 13 पो0+थाना- घुरना जिला- अररिया सीआर न0- 108112402589158	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	सुनीता देवी पति- विजेद्र प्रसाद यादव ग्राम- बखडडा वार्ड 04 पो0- बखडडा थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600074635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	ज्वाला प्रसाद पिता- स्व0 जगदेव महतो ग्राम- बिलारी वार्ड 01 पो0- बिलारी थाना- कतरीसराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112602090204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	मुन्नी देवी पति- बालेश्वर राय ग्राम- सिहोरिया पो0- बरदहिया थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 108112601477580	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	अमन कुमार पिता- रामदेव सरदार ग्राम+पो0- रघुनाथपुर थाना- जदिया जिला- सुपौल सीआर न0- 108112503402032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	मो० राशीद पिता- मो० सहबुदीन ग्राम- बागीचा पो०- भैरादह थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज सीआर न०- 108112602113352	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	बालकिसन राम पिता- कदमलाल राम ग्राम+पो०- तमुआ थाना- राजेश्वरी जिला- सुपौल सीआर न०- 108112601132191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	मोनी खातुन पति- सकील ग्राम- अख्तरी लेन वार्ड 51 पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना सीआर न०- 108112502151079	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	उमेश राय पिता- वासदेव राय ग्राम- आनदपुर सोनपुर वार्ड 15 पो०+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न०- 108112601366648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	बीबी नाजरीन पति- मोजम्मील ग्राम- बकिया वार्ड 10 पो०- डोरिया सोनापुर थाना- सिमराहा जिला- अररिया सीआर न०- 108112601983710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	लक्ष्मी देवी पति- हरिकिशोर यादव ग्राम- झौआ पो०- पी टी जीवर थाना- हथौडी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112602137987	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	आयुष ठाकुर पिता- अजीत ठाकुर ग्राम+पो०- रहीमाबाद थाना- बगरा जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112601879793	कोकलियर इम्प्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

69	पुष्पा देवी पति- सीता राम भगत ग्राम- इमामगज वार्ड 09 पो0- शकरपुर इमामगज थाना- खानपुर खीडीमोड जिला- पटना सीआर न0- 108112400951291	लेफ्ट नी रिप्लेसमेट	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
70	सुरेश प्रसाद महतो पिता- सहदेव महतो ग्राम- नवाबगज वार्ड 02 पो0- मरवा थाना- कोढा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112401868924	राईट हीप रिप्लेसमेट	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
71	शम्भु साह पिता- रामपुकार साह ग्राम- मारर पो0- कसार थाना- बेलसड जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112300160599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	श्रीचन महतो पिता- राम शरण महतो ग्राम- रामपुर परोरी पूर्वी पो0- बनचौरी थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600301755	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	सगीता देवी पति- बजरगी भारती ग्राम- मोहनपुर वार्ड 14 पो0+थाना- नालदा जिला- नालदा सीआर न0- 108112500205775	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	ऋषि कुमार भूषण पिता- भागनारायण महतो ग्राम- परसा पो0- बरहरवा थाना- सुप्पी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112602247766	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			61,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 61,15,000/- (एकसठ लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक

का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई०जी०आई०एम०एस०, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2543 (14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **09.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अहमद हुसैन पिता- मो0 खलील ग्राम- गोरार्ई पो0- बलहा थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 109112601973211	स्पाईन सर्जरी (सर्वाईकल)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रामकिसुन पंडित पिता- शिवचरण पंडित ग्राम+पो0- बलुआ थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न0- 109112601161683	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अयाश राज पिता- सुकेश कुमार ग्राम+पो0- चिकसी थाना- पालीगज जिला- पटना सीआर न0- 109112601644692	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	आशुतोष कुमार पिता- त्रिलोकी पासवान ग्राम+पो0- बतौना थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 109112601487260	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रामानंद प्रसाद पिता— स्व० रामलंगन पंडित ग्राम— आश्रम रोड पो०+थाना— रक्सौल जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न०— 109112601786985	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सोनी कुमारी पिता— सजय सहनी ग्राम— सालिमपुर अहरा गली न० 02 पो०— कदमकुआँ थाना— गांधी मैदान जिला— पटना सीआर न०— 109112401067992	राईट हीप रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	शम्भू प्रसाद सिंह पिता— देवचरण सिंह ग्राम+पो०— अकौना थाना— गोह जिला— औरंगाबाद सीआर न०— 109112601782998	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मो० इनामुद्दीन खान पिता— निजामुद्दीन खान ग्राम+पो०+थाना— बिक्रमगज जिला— रोहतास सीआर न०— 109112601532622	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	जयकृष्ण कुमार पिता— शिवचंद्र सरदार ग्राम— सरदहा पो०— जरैला थाना— त्रिवेणीगज जिला— सुपौल सीआर न०— 109112601656500	टोटल हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	मुस्कान प्रवीण पिता— शबीर अहमद ग्राम— पुरुषोत्तमपुर वार्ड 10 पो०— पुरुषोत्तमपुर थाना— छौडादानो जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न०— 109112601557901	टोटल हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	अनीता देवी पति— पहलाद कुमार ग्राम+पो०— बन्दार थाना— निमाचदपुरा जिला— बेगूसराय सीआर न०— 109112601720933	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	रीता देवी पति- घनश्याम चौधरी ग्राम- पोषण साह लेन मोहदीनगर पो0- मिरजानहाट थाना- बबरगज जिला- भागलपुर सीआर न0- 109112600487780	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	अखिलेश कुमार पिता- स्व0 चितरजन प्रसाद ग्राम- चकविन्दा पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 109112601360431	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	आरोही कुमारी पिता- मनोज कुमार ग्राम- बसावनचक पो0- दौलतपुर थाना- भदौर जिला- पटना सीआर न0- 109112601176796	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
15	मो0 शहनवाज असारी पिता- मो0 शाहीद असारी ग्राम- सिहिन वार्ड 01 पो0- सिहिन थाना- हिसुआ जिला- नवादा सीआर न0- 109112601029785	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
16	हर्ष कुमार गुप्ता पिता- रजन कुमार गुप्ता ग्राम- सानीचादा वार्ड 01 पो0- भलुही थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 109112601495085	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
17	आदीबा परवीन पिता- सद्दाम हुसैन ग्राम- लरौली पो0- बिशुनपुरा थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज सीआर न0- 109112601205419	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
			28,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 28,15,000/- (अठाईस लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 0

579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code— SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2544(14)

पटना, दिनांक

15/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सत्ता में

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **09.09.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवीन कुमार पिता— सुबोध मिश्रा ग्राम— भेडियाही सोती पो०— हरिदासपुर थाना— कौंटी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2026/005717	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	यशवत कुमार सिंह पिता— रबिन्द्र कुमार सिंह ग्राम— हाउस न०— 22 चाणक्यपुरी राजाबजार पो०— बी भी कॉलेज थाना— शास्त्रीनगर जिला— पटना केस फाईल न०— 19एफ2026/006728	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सजय कुमार पिता— श्रीधर दास ग्राम— चौधरीडीह पो०— मिरजानहाट थाना— लोदीपुर जिला— भागलपुर केस फाईल न०— 11एफ2025/005375	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कुमारी सगीता राय पति— अशोक कुमार ग्राम— दौलतपुर देउरिया उर्फ दौलतपुर पो०— शुभई थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली केस फाईल न०— 19एफ2025/001200	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सबिता देवी पति- अनिल चौधरी ग्राम- सूबधिया नथन पो0- बलरा इस्माइल थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/002971	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
6	मास्टर अमित कुमार पिता- रजीत दास ग्राम+पो0- भडारी थाना- बेलसड जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026/006317	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
7	जयचंद्र कुमार पिता- भजन साव ग्राम- बृदावन पो0- किउल आर एस थाना- किऊल जिला- लखीसराय केस फाईल न0- 19एफ2025/003203	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
8	माला देवी पति- चदेश्वर दास ग्राम- पहाडीचक वार्ड 04 पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण केस फाईल न0- 19एफ2026/004710	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो0 हकीम असारी पिता- सफिक असारी ग्राम- तमकुही पो0- झारमहुई थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/005640	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
10	गौरी दुबे पिता- केश्वर दुबे ग्राम- हरसिद्धि पकडिया पो0+थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/005745	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
11	देवकी देवी पति- जयनदन मिस्त्री ग्राम- कोरिया पो0- दामोदरपुर थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय केस फाईल न0- 19एफ2026/004936	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

12	योगेन्द्र पटेल पिता- नथुनी राय ग्राम- जगीरहा पो0- बिजधरी थाना- केसारिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/004540	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सगीता देवी पति- राधा सिंह ग्राम+पो0- करसहिया थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/004434	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	बेबी मेहता पति- रमण रौशन ग्राम- साई नगर छिट भगवतीपुर मालीघाट सरैया पो0- प्रधान डाकघर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/006433	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			11,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 वी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 **000881** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A.c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर निश्चितता प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2545(14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक का कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	लालमुनी देवी पति— विनोद प्रसाद ग्राम— बैजनाथपुर पो०— छौडादानो थाना—छौडादानो जिला— पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस— 10369218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	टुन्नी मिस्त्री पिता— अमृत मिस्त्री ग्राम— महिसौडी पोस्ट— जमुई थाना+जिला— जमुई एम०सी०एस—10367517	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	आतीफ पिता— मुसद्दीक आलम ग्राम— रानी पो०— पतहरबाडी थाना— जोकिहाट जिला— अररिया एम०सी०एस— 10248504 /एफ 2612	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	फुला देवी पति— उपेन्द्र सिंह ग्राम— भोपौली पो०— सोनपुरा थाना—उदवत नगर जिला— भोजपुर एम०सी०एस— 10365024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	वानो खातुन पति- मो0 मलिक ग्राम- गोही बिशुनपुर लख्मी पो0- गोही थाना वारिस नगर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10369393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुल्ताना पति- मो0 मेराज ग्राम- बलाट पोस्ट- मकसूदा थाना- सकरी जिला- मधुबनी एम0सी0एस- जी0 13968 / 10359859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुनीता देवी पति- मिथलेश यादव ग्राम- ककैला पो0- मिर्चाईगज थाना- नालदा जिला नालदा एम0सी0एस- 10368933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सुरेश भगत पिता- महावीर भगत ग्राम- चिरैया पोस्ट- कबीरा थाना- चिरैया ओ0पी0 जिला- सहरसा एम0सी0एस- 10369158	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सोबराती मिया पिता- नसीब मिया ग्राम- जय नगर पो0- जुआफर थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10336730 / एफ 90838	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शानवी सिंह पिता-श्रवण कुमार ग्राम- साठोपुर पोस्ट-मघडा थाना- दीप नगर जिला- नालदा एम0सी0एस- 10368185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राकेश कुमार पिता- सत्येन्द्र महतो ग्राम- महिनावौ बाजार पो0- मनेर थाना- मनेर जिला- पटना एम0सी0एस- 10365356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रीता देवी पति— फेकन यादव ग्राम— सीताकुड डीह पो0— दरियापुर थाना— मुफसिल जिला— मुगेर एम0सी0एस— 10369707	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सुशीला देवी पति— स्व0 विश्वनाथ सिंह ग्राम— छोटी मडई पो0+थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली एमसीएस न0— जी 3670 / 10349561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	निरमा देवी पति— सुरेन्द्र भुइया ग्राम—लहगपुर टोला अहियापुर पो0—लेखाईपुर थाना— मोहनपुर जिला—गया एम0सी0एस—जी0 12042 / 10357933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	विनोद मिश्रा पिता दया मिश्रा ग्राम—फकुली पो0— फकुली थाना—मुफसिल जिला— सारण एम0सी0एस—10369883	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	बिन्दा देवी पति— जीतन सिंह ग्राम+पो0—राजा खरवार थाना सकतपुर जिला— दरभंगा एम0सी0एस— 10367861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मो0 नाजीम पिता— नसीउद्दीन ग्राम— जानकी भीड़ा पोस्ट— खोदागज थाना— बहादुरगज जिला— किशनगज एम0सी0एस— 10359678 / जी0 13787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	कौशल कुमार यादव पिता— सुरेश यादव ग्राम— कमलपुर पो0— भीठ भगवानगज थाना— भेजा जिला मधुबनी एम0सी0एस— 10369794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	कविता देवी पति- अमित कुमार सिंह ग्राम-भौवा परबल पो0- बलिया थाना- मोहनपुर ओ0पी0 जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10369831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बेली देवी पति- भागवत यादव ग्राम+पो0- भरगामा थाना- भरगामा जिला- अररिया एम0सी0एस- 10368811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	बबली राज पिता-कृष्णा सिंह ग्राम- गोरडीहा पो0- बगही थाना- सहार जिला- भोजपुर एम0सी0एस- 10344308 / एफ 98416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	खाजो सिंह पिता- राम चरित्र सिंह ग्राम-पहाडपुर पो0- लोहची थाना- शामपुर जिला- मुगेर एम0सी0एस-10367439	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	लालचुनी देवी पति- रामाकान्त महतो ग्राम- सलेहपुर पो0- सलेहपुर थाना-विश्मिरपुर जिला गोपालगंज एम0सी0एस- 10369307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रियाशी कुमारी पिता- रजीत राम ग्राम+पो0- महीसौथा थाना- बोखडा जिला- सीतामढ़ी एम0सी0एस-10369872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	गौतम कुमार पिता-गोविन्द सिंह ग्राम+पो0- खडिया थाना- बरियारपुर जिला- मुगेर एम0सी0एस-10361444	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	गणेश साह पिता- रामदेव साह ग्राम+पो0- महनार थाना- महनार जिला वैशाली एम0सी0एस-10369139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	अनमोल यादव पिता- कुलो यादव ग्राम- बेल्हा घाट पो0- तुलसी बाडी थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-ई0 74865 / 10220758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	प्रमोद प्रसाद यादव पिता- केसो यादव ग्राम- आमतरपो0- लेमुआबाद थाना पडारक जिला- पटना एम0सी0एस-एफ 95721 / 10341613	बोन मैरो ट्रास्प्लान्ट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
29	मनोरमा देवी पति- राजु शर्मा ग्राम- लहौरिया 02 पोस्ट- गोपालपुर थाना- रजौन जिला- बाका एम0सी0एस-10363967	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	रीता देवी पति- रघुराज प्रसाद ग्राम- बौरीडीह पो0- बौरी सराय थाना- खुदागज जिला- नालदा एम0सी0एस- 10368770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	तारा देवी पति- सुनील राम ग्राम- करनई पोस्ट- डरैली मठिया थाना- दरौली जिला- सीवान एम0सी0एस- 10367321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	रेयाज अहमद पिता- मुस्तफा अहमद ग्राम- जगलिया पोस्ट+थाना- गोपालगज जिला गोपालगज एम0सी0एस- 10369773	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	छोटी कुमारी पिता- क्षत्री यादव ग्राम- छर्रापट्टी पोस्ट- शिवकुड थाना- हेमजापुर जिला- मुगेर एम0सी0एस-10367525	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	मुन्नी देवी पति- परमानन्द राम ग्राम+पोस्ट- प्रसादी इंग्लिश थाना+जिला- अरवल एम0सी0एस-एफ 98939/ 10344831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	प्रमोद शर्मा पिता- सिपाही शर्मा ग्राम+पो0- बेलवा बहुअरी थाना- गौनाहा जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस- 10369465	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	छोटे लाल गुप्ता पिता- भुवनेश्वर प्रसाद ग्राम- बसा पो0- करवनदीया थाना- सासाराम जिला- रोहतास एम0सी0एस-10369587	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	प्रीती देवी पति- श्रवण पाण्डेय ग्राम- उगनीचक पो0-अमरथ थाना+जिला- जमुई एम0सी0एस-10368519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सबिता कुमारी पति- नरेन्द्र कुमार ग्राम-ऊटा मुरादपुर पोस्ट+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद एम0सी0एस-10367982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	जितनी देवी पति- श्रवण मडल ग्राम- कोदरा घाट शाहपुर टोला, पोस्ट-रामनगर खावन थाना- रतवारा जिला-मधेपुरा एम0सी0एस- 10361236	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	गायत्री देवी पति— जगदीश साह ग्राम— ताराडीह पो0— रूपसा थाना— अमरपुर जिला— बाका एम0सी0एस— 10368473	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मास्टर अनेस रजा पिता— मो0 असारूल ग्राम— पुण्डाले पो0— आसजा मोबैया थाना— बायसी जिला पूर्णिया एम0सी0एस— 10369326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रीना देवी पति— राज कुमार पासवान ग्राम— विष्णुपुर पोस्ट—खोपी थाना— जन्दाहा जिला— वैशाली एम0सी0एस—10362596	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	गीता देवी पति— नुनु लाल साहु ग्राम+पो0— दलदल थाना— भेजा जिला— मधुबनी एम0सी0एस—एफ 68801 /10314693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	तजमुन खातुन पति— अली साद मिया ग्राम+पो0— डेवढी थाना—तरैया जिला— सारण एम0सी0एस—10368265	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	शीला देवी पति— इन्द्र भुषण कुमार सिंह ग्राम+पो0—देवोत्तर थाना— बनमनखी जिला— पूर्णिया एम0सी0एस—जी0 11228/ 10357119	बोन मैरो ट्रास्प्लट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
46	आजमी खातुन पति— मो0 नुर आलम ग्राम+पो0— अमौना थाना— जोगबनी जिला— अररिया एम0सी0एस—10342611/एफ 96719	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	पारो देवी पति- बासुदेव साह ग्राम- पीपरपाती काली अस्थान लेन गढकछारी, पो0- नाथ नगर थाना-ललमटिया जिला भागलपुर एम0सी0एस- 10368831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	बैजती देवी पति- राम ईश्वर पडित ग्राम-छोटी पहाडी पो0- बडी पहाडी थाना-अगमकुआ जिला- पटना एम0सी0एस- एफ 67588 / 10313480	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	कोमल देवी पति- राजीव सिंह ग्राम-पोठिया पो0-तमघट्टी थाना- बौसी जिला- अररिया एम0सी0एस- 10367002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	अर्जुन महतो पिता- राम शरण महतो ग्राम- सोनमा पो0- सोनमा थाना- बखरी जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-10368509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सोना देवी पति- कमलेश कुमार चौधरी ग्राम-सिहमा वार्ड 4 पोस्ट- सिहमा थाना-छौडाही ओ0पी0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस- 10367988	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	चिन्ता देवी पति- राम सागर राय ग्राम+पो0- केवटा थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13745 / 10359636	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

53	इन्द्रानन्द विश्वास पिता- हरी लाल विश्वास ग्राम-कलकली पोस्ट- चैनपुर थाना- महलगौव जिला- अररिया एम0सी0एस-10367467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	लालमुनी देवी पति- कामेश्वर साह ग्राम- पटराही कला वार्ड 15 पो0- अपहर थाना-भेल्दी जिला- सारण एम0सी0एस- 10360333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	रामाइतर यादव पिता- स्व0 कामेश्वर यादव ग्राम- मोकीमपुर पोस्ट- बेलौर थाना- बाढ जिला- पटना एम0सी0एस- 10368906	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	विशेषवर महतो पिता- लखन महतो ग्राम-बिछवे पो0- बिछवे थाना- लछुआड जिला- जमुई एम0सी0एस-10365717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	अदुल देवी पति- कुदन यादव ग्राम-राजवारा पोस्ट- राजवारा थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-10370229	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	प्रभुनाथ पटेल पिता- स्व0 रामचन्द्र प्रसाद ग्राम- लोकनाथपुर पो0- सिकटिया थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10329239/एफ 83347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	सोनी कुमारी पति- शिशुवत राय ग्राम- बादराबाद पो0- मदनपुर थाना- एकगर सराय जिला- नालदा एमसीएस न0- एफ 60701/10306593	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	मजू देवी पति- अनीस कुमार पाण्डेय ग्राम- गरार पो0- हुसैनगज थाना- आन्दर जिला- सिवान एमसीएसन न0- एफ 97038 / 10342930	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 54,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 54,80,000/- (चौवन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिराबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2553(14)

पटना, दिनांक

15/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीनानाथ साव पिता- स्व0 गया साव ग्राम+पो0- पैनाल थाना- बिहटा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 PUNBO149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0

आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

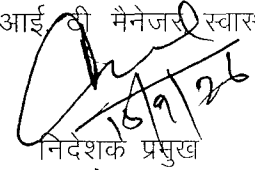
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2554(14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000881 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई वी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/9/26
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार सिंह पिता- रणवीर प्रसाद सिंह ग्राम- मेन रोड मार्केटिंग यार्ड बहादुरगज पो०+थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज यूएचआईडी न०- 3000652602	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मनोज कुमार पिता- चदेश्वर सिंह ग्राम- गज जलालपुर वार्ड 14 पो०- मराची थाना- पुनपुन जिला- पटना रजि न०- 3000653128	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	उषा देवी पति- राहुल विजय ग्राम- चित्रकुट नगर रोड न०- 06 दीघा दियारा पो०- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना रजि न०- 3000635795	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			4,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 000881..

द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का

नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILLY ROAD
PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड स०— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि का संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2555(14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 09.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	खातून पति- मो० मनीर ग्राम- कुसमार पो०- बाघा कुसमार थाना- खुटौना जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।



प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2556 (14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को करा दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवि कुमार रजक पिता- राम दयाल रजक ग्राम- धीराचक पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	दुर्घटना / ट्रामा	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रुबी देवी पति- सुभाष राय ग्राम- कफरपुर पो0- माधोपुर थाना- दानापुर जिला- पटना	F/U/C of Cholelithiasis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,80,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Pathiputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सर्वाधिकत मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

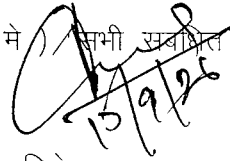
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2557 (14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रियंका कुमारी पति— दिपक कुमार यादव ग्राम— चौकीहसन चौकी मखदूम पो०— चौकीहसन थाना— जी बी नगर जिला— सिवान	Surgery B/L URSL + B/L DJ Stenting	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	धीरज कुमार पिता— ज्ञानेश्वर प्रसाद सिन्हा ग्राम— मोती बिगहा पो०— गोनवा थाना— नवादा जिला— नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	महेद्र साह पिता— बजरंगी साह ग्राम— दरौली पो०— बगाढी थाना— रामगढ जिला— कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नरेश प्रसाद पिता— गरभू महतो ग्राम+पो०— सवानी थाना— बख्तियारपुर जिला— पटना	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	मो० सबा करीम पिता- अब्दुल कयूम ग्राम+पो०+थाना- शहर तेलपा जिला- अरवल	हृदय रोग पीटीसीए	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			4,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 4,85,000/- (चार लाख पचासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2558 (14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रभु

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई हॉस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई0-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय -- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए फॉर्म-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	वीरेन्द्र कुमार पांडेय पिता- राम बिलाश पांडेय ग्राम- परानपुर पो0- महारोड थाना- दिनारा जिला- रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए+ स्टेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	राम दरश सिंह पिता- द्वारिका सिंह ग्राम- रूपीवाध पो0- धरहुतीकला थाना- कोचस जिला- रोहतास	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,50,000	

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-50200037828274 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हॉस्पिटल प्रा0 लि0” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0 HDIC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को स्वयं मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत माग कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का गिलान पर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुरा

ज्ञापाक 2559(14)

पटना, दिनांक 15/9/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई० सी० प्रमुरा स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/24
निदेशक प्रमुरा

स0 स0- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रमक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सर्व मे

निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसारण,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय
क) अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन
के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनैना देवी पति- राम वृक्ष प्रसाद ग्राम- लड्डु आखर पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	उमाशकर सिंह पिता- विष्णु देव सिंह ग्राम- नयागाव पो0- छिन्नौर थाना- नयागाव जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए
आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0
30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 000881 द्वारा आहरित कर
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 5020 418 8262 खाता धारक
का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक,
शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000H531 में अंतरित
किया जाता है।

गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित
मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर
प्राप्त किया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मेलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग का वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग का छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2560(14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए जमा सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt G-124, P C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **09.09.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित घोमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	बबूनि देवी पति- सुरेश कुमार सिंह ग्राम-पो0- नवादा थाना- मशरख जिला- सारण	हृदय रोग एमभीआर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	आशा कुमारी पति- शम्भु राम ग्राम- बनचोलहा पो0- खजुरी थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा	हृदय रोग पेसमेकर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, वेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 **000881** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

1. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण चिकित्सा ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/ -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 256/14)

पटना, दिनांक

15/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुदान सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी प्रमाणित, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0स0'14/एम-11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

हार्डटेक इमरजेसी अस्पताल

प्रा० लि०, सगुना मोड,

खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पुष्पा सिंह पति- गुड्डू कुमार ग्राम+पो०- गाजीपुर थाना- गिरियक जिला- नालदा	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 2005501735, खाता धारक का नाम- M/s HITECH EMERGENCY HOSPITAL, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- Saguna More Danapur, Patna, RTGS/IFSC कोड स० CBIN0284605 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा



चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

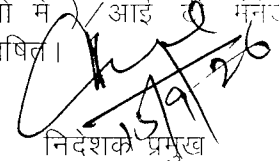
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2562(14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई० एम० स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

श्रवण कुमार शर्मा
पिता— स्वा० उमेश शर्मा
ग्राम— छोटी रूकनपुरा नाला पर वार्ड 03
पो०— बी०भी० कॉलेज
थाना— एयरपोर्ट
जिला— पटना
पिनकोड— 800014

पटना दिनाक.. ..

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	श्रवण कुमार शर्मा पिता— स्वा० उमेश शर्मा ग्राम— छोटी रूकनपुरा नाला पर वार्ड 03 पो०— बी०भी० कॉलेज थाना— एयरपोर्ट जिला— पटना पिनकोड— 800014	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /—(एक लाख आठ हजार)) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000881 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०—34212771981, खाता धारक का नाम— SHRAVAN KUMAR SHARMA, खाते का प्रकार— SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम— BIHAR VAT. COLLEGE CAMPUS, IFSC कोड स०— SBIN0009006 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

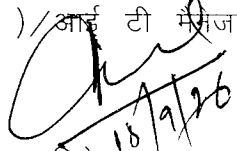
ह० /—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2570(14)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/9/26
निदेशक प्रमुख

amt = Amount/राशि	Csh = Cash/नकदी	Pos = Point of Sale/पहिल ऑफ मल
Ar = Arrear/बकायाराशि	dep = Deposit/जमा	Pr = Principal/मूलधन
bal = Balance/शेष	Dft = Draft/ड्राफ्ट	proc = Processing Charge/प्रक्रिया प्रभार
Capn = Capitalisation/पूजीकरण	dish/dsh = Dishonor/अस्वीकृत	rd = Recurring Deposit/आवदी जमा
Chg/ch = Charge/प्रभार	DR = Debit/नकद	ret/rtn = Return/वापस
Chq = Cheque/चेक	DOB = Date of Birth/जन्म तारीख	Rnd = Round off/पूर्णांकित
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	eft = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	sb = Savings Bank/बचत बैंक
Clos = Closure/समाप्ति	Inop = Inoperative/निष्क्रिय	SC = Short Credit/सॉर्ट क्रेडिट
Coli = Collection, समाहरण	Ins = Insurance/बामा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुरोध
Comm. = Commission/कमीशन	Int / In = Interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी/पति
COR/CORR = Correction/संशोधन	Ion/loan/ऋण	tr/trf/xfer = Transfer/अवस्थापन
CR = Credit/जमा	min = Minimum/न्यूनतम	txn = Transaction/लेनदेन
	os = Outstanding/बकायाराशि	Wdl = Withdrawal/अहरण
	P&T = Postal Charges/डाक प्रभार	+MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/कुल जमा शेष (बचत बैंक + सहवर्ती खाता)



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

पुणे शाखा (पुणे केंद्र) - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

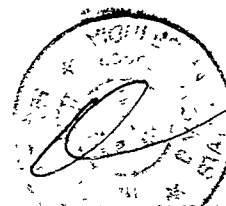
पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे

पुणे केंद्र - पुणे



शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER